



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25102025-267100
CG-UP-E-25102025-267100

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4647]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947

No. 4647]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

रेल मंत्रालय

उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)

अधिसूचना

प्रयागराज, 8 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4776(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् प्रयागराज – पं दीन दयाल उपाध्याय, तीसरी रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी)" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) / मिर्जापुर को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों

की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना पं० दीनदयाल उपाध्याय – प्रयागराज के मध्य तीसरी लाइन निर्माण परियोजना के लिए मिर्जापुर जिले के सदर तहसील में आने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं	तालुका का नाम	गाँव का नाम	गाटे की प्रकृति	खाता संख्या	गाटा सं०	अर्जित क्षेत्रफल (हे०) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सदर	चड़ेरु चौकठा	निजी	28	380	0.0130
			निजी	162	382	0.1030
			नाली	263	383	0.0400
			निजी	277, 281, 284	392	0.1440
					योग	0.3000
2	सदर	कसघना	निजी	66	159	0.1210
			निजी	17	121	0.0440
					योग	0.1650
					महायोग	0.4650

[फा. सं. एन.सीआर.-एच. क्यू.शून्य.सी. ई.एन.जी.(पी. एच 15)/5/2021-ओ/ओ डिप्टी. सी.ई./सी.इला. (कंप्यूटर सं. 51223) ,दिनांक: 24.11.2021]
एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

North Central Railway (Construction Department)

NOTIFICATION

Prayagraj, the 8th October, 2025

S.O. 4776(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Prayagraj-Pt. Deendayal 3rd line doubling Railway project (150 km) in the district of **Mirzapur** in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (Irrigation) / Mirzapur**, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and

may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, namely, Pt. Deen Dayal Upadhaya to Prayagraj Jn. 3rd Railway line Project Under **Tehsil Sadar in Mirzapur District** in the state of Uttar Pradesh.

S/No.	Name of Tehsil	Name of Village	Nature of Land	Khata N0.	Gata No.	Acquired area (In Hec.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sadar	Chaderu Chaukatha	Pvt.	28	380	0.0130
			Pvt.	162	382	0.1030
			Nali	263	383	0.0400
			Pvt.	277, 281, 284	392	0.1440
					Total	0.3000
2	Chunar	Kasghana	Pvt.	66	159	0.1210
			Pvt.	17	121	0.0440
					Total	0.1650
					G. Total	0.4650

[F. No. NCR-HQ0CENG(PH 15)/5/2021- O/O Dy CE/C/ALD
(Computer No.51223) Dated: 24.11.2021]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)